

झारखण्ड सरकार
वन एवं पर्यावरण विभाग

112

87

अधिसूचना

संख्या-वन्य प्राणी-09/2010/व०प०, राँची, दिनांक/

विभागीय अधिसूचना संख्या-4359 दिनांक 26.11.2010 द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिला तथा हजारीबाग एवं चतरा जिला के नॉर्थ कर्णपुरा क्षेत्र में खनन एवं अन्य औद्योगिक इकाईयों के कारण फलोरा एवं फाऊना के ऊपर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को mitigate करने के उद्देश्य से संबंधित क्षेत्र के लिये वन्य प्राणी प्रबंधन योजना बनाने हेतु एक विशेषज्ञ कमिटी का गठन किया गया था।

किन्तु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या-F.No-8-70/2009-FC दिनांक 07.03.2011 द्वारा मेसर्स सेल के मनोहरपुर खनन पट्टा क्षेत्र, चिड़िया के लिए वनभूमि अपयोजन की सैद्धांतिक सहमति में दिये गए शर्त संख्या-17 के अनुरूप Wildlife Institute of India, Deharadun, Wildlife Trust of India एवं WWF से मैनेजमेन्ट प्लान बनाने का निदेश प्राप्त हुआ। इस संबंध में मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड द्वारा उपरोक्त संस्थानों से सम्पर्क स्थापित किया गया। WWI तथा WWF द्वारा तत्काल मैनेजमेन्ट प्लान बनाने में असमर्थता व्यक्त की गई।

उपरोक्त आसन्न स्थिति में राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-4359 दिनांक 26.11.2010 द्वारा गठित समिति को रद्द करते हुए नई विशेषज्ञ समिति का गठन निम्नरूपेण किया जाता है:-

- (I) डा० डी० एस० श्रीवास्तव,
Professor of Zoology (Rtd.) Ranchi University,
Ph.D. on Ecology of Elephants in Palamau Tiger Reserve
Member, Steering Committee, Project Elephant, Govt. of India
Member, Wildlife Advisory Board, Jharkhand
Member, Working group on Biodiversity,
Planning Commission, Govt. of India.
Member, NTCA Committee on Palamau Tiger Reserve Principal Investigator
- (II) डा० पी० एस० इसा,
Head, Wildlife Wing of KFRl, (Rtd.)
Ph.D on Elephant Ecology.
Member, Elephant Task Force, Govt. of India
Member, Committee in NTCA. Co-Investigator
- (III) श्री जे०बी० जौहर,
Chief Wildlife Warden (Rtd.) Jharkhand. Advisor

2. यह समिति संयुक्त रूप से प्रबंधन योजना बनाकर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षण एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड को समर्पित करेंगी। प्रबंधन योजना